	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 25, मंगलवार, *शाके* 1943–जून 15, 2021 *Jyaistha 25, Tuesday, Saka 1943- June 15, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर , जून 07, 2021

एस.ओ556. :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (कक) के पश्चात और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (ककक) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

'' (ककक) ''बोर्ड'' से ''राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड'' अभिप्रेत है,''

3. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग द्वारा उसके कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पदों के लिए और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा '' के स्थान पर अभिव्यक्ति '' बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

4. नियम 10 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 10 में,-

(i) खण्ड (xii) में विद्यमान अभिव्यक्ति '' या उन पदों के मामले में जो साक्षात्कार द्वारा आयोग के माध्यम से भरे जाते हो'' हटायी जायेगी; और

(ii) खण्ड (xiii) में विद्यमान अभिव्यक्ति '' आयोग के समक्ष'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बोर्ड के समक्ष'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

5. नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति '' आयोग द्वारा प्रतिरूपण करने का '' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बोर्ड द्वारा प्रतिरूपण करने का '' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii)विद्यमान अभिव्यक्ति ''परीक्षा या साक्षात्कार में'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''परीक्षा में'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति '' परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के निमित्त '' के स्थान पर अभिव्यक्ति '' परीक्षा में प्रवेश पाने के निमित्त'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iv) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(क) बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश पाने से; और'' ।

6. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति '' आयोग'' जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति '' बोर्ड'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

7. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 में,-

(i) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति '' आयोग'' जहां कहीं भी आयी हो के स्थान पर अभिव्यक्ति '' बोर्ड'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति '' और मौखिक परीक्षा, यदि कोई हो, के लिए केवल पात्र अभ्यर्थियों को आमंत्रित करेगा '' हटायी जायेगी; और

(iii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

'' (2) परीक्षा में किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।''

8. नियम 18 का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम हटाया जायेगा ।

9. नियम 19 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 19 मे विद्यमान अभिव्यक्ति '' आयोग'' जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बोर्ड'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

10. नियम 20 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 20 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बोर्ड'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

11. नियम 22 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 22 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बोर्ड'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।

12. अनुसूची -।। का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची -।। के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''अनुसूची-।।

(नियम 16 देखे)

<u>मोटर यान उप-निरीक्षक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम:</u>

1. अभ्यर्थी को सभी प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना होगा। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वस्तुनिष्ठ प्रकार के तीन प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र का नाम, पूर्णांक और अनुज्ञेय समय निम्नानुसार होगा:-

प्रश्नपत्र -।	सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान	100 अंक 2 घण्टे
प्रश्नपत्र -।।	भाषा	100 अंक 2 घण्टे
प्रश्नपत्र -।।।	ऑटोमोबाइल और यांत्रिक अभियांत्रिकी	100 अंक 3 घण्टे

2. प्रश्नपत्रों का स्तर सैकण्डरी/पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के समकक्ष होगा ।

3. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर-भीतर ऐसी रीति से जो बोर्ड उचित समझे, सूचित किया जायेगा ।‘’

[**सं एफ; 2 (2) डीओपी/ए-।।/89**]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, June 07, 2021

S.O.556 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Transport Subordinate Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 2.-** After the existing clause (aa) and before the existing clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963, hereinafter referred to as the said rules, the following new clause (aaa) shall be inserted, namely:-

"(aaa) "Board" means the "Rajasthan Staff Selection Board;"

3. **Amendment of rule 7**.- In sub-rule (3) of rule 7 of the said rules, for the existing expression "Commission for posts falling in its purview, and by the Appointing Authority in other cases,", the expression "Board or Appointing Authority, as the case may be " shall be substituted.

4. **Amendment of rule 10**.- In rule 10 of the said rules,-

(i) in clause (xii), the existing expression "or in case of posts filled in through the Commission by interview" shall be deleted; and

(ii) in clause (xiii), for the existing expression "before the Commission", the expression " before the Board" shall be substituted.

5. **Amendment of rule 14**.- In rule 14 of the said rules,-

(i) for the existing expression "Commission guilty", the expression "Board guilty" shall be substituted;

(ii) for the existing expression “ examination or in the interview”, the expression “examination” shall be substituted;

(iii) for the existing expression “examination or appearance at any interview”, the expression “examination” shall be substituted; and

(iv) the existing clause (a) shall be substituted by the following, namely: -

"(a) by the Board from admission to any examination; and".

6. **Amendment of rule 16**.- In rule 16 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted.

7. Amendment of rule 17.- In rule 17 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), the existing expression "and shall call only the eligible candidates to viva-voce, if any" shall be deleted; and

(iii) the existing sub-rule (2) shall be substituted by the following, namely:-

"(2) The decision of the Board in respect of the admission of a candidate to an examination shall be final."

8. Deletion of rule 18.- The existing rule 18 of the said rules shall be deleted.

9. **Amendment of rule 19**.- In rule 19 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted.

10. Amendment of rule 20.- In rule 20 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted.

11. **Amendment of rule 22**.- In rule 22 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted.

12. Amendment of Schedule-II.- The existing Schedule-II appended to the said rules shall be substituted by the following, namely: -

"Schedule-II

(See rule 16)

Scheme of Examination for the post of Motor Vehicles Sub-Inspector:

1. A candidate must appear in all the papers. There will be three papers of objective type unless otherwise stated. The name and the total marks and the time allowed for each paper shall be as follows:

Paper-I	General Knowledge and Everyday Science	100 Marks 2 Hrs.
Paper-II	Language Test	100 Marks 2 Hrs.
Paper-III	Automobile and Mechanical Engineering	100 Marks 3 Hrs.

2. The standard of the papers will be that of a Secondary/Polytechnic Diploma.

3. The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Board, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Board deems fit."

[No. F.2(2)DOP/A-II/89]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.